



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
 T A Division Building (Ground Floor) IITC Campus, Dhanwa, Ranchi-834001.
Phone No:-0651- 2400852, 2400853. Fax No:- 2400850.

115

पत्रांक.....

संज्ञी, दिनांक.....

प्रेषक:

अरुण के. सिन्हा
 सदस्य सचिव

सेवा में,

श्री अभय कुमार शह बादी,
 मेसर्स विश्वनाथ फेरो एलॉयज लि०,
 ग्राम बगियाडीह, पो० गादी श्रीरामपुर,
 जिला-गिरिडीह।

विषय: सर्वश्री विश्वनाथ फेरो एलॉयज लि०, (ब्लास्ट फर्नेस युगिट), नौजा- बगियाडीह, पो० गादी: श्रीरामपुर,,
 जिला-गिरिडीह का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के सम्बन्ध में

माहाराज,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके उपरोक्त परियोजना के लिये लोक सुनवाई दिनांक 17.05.2010 (दिन सोमवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे जिला टाउन हॉल, गिरिडीह में निर्धारित की गई है। अतः अपने ई०आई०एच प्रतिवेदन, ई०आई०एच तारांक की दस्तावेज प्रतियां हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में एटी०ओ०आर० के अनुसार तैयार किया हुआ) विभाजित कार्यलयों/स्थलों पर एक सप्ताह के अन्दर तक नागरिकों को उपलब्ध करने हेतु आवश्यक रूप से निर्धारित करें। साथ ही ई०आई०एच की हार्ड कॉपी एवं सफ्ट कॉपी नागरिकों को अवलोकनार्थ उगाजस्थ करा दें।

1. उपायुक्त कार्यालय, गिरिडीह।
2. जिला उद्योग क्षेत्र, गिरिडीह।
3. जिला पर्वद, गिरिडीह।
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, टी०ए० नन्दन, पारट हुरु, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पी०टी०सी०चौक, मटवारी रोड, हजारीबाग।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-3 चन्द्रशेखरपुर, मुम्बई-400023
7. संबंधित पंचयत।

लोक सुनवाई की प्रक्रिया नवंबर, एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आई०एच अभिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 12.09.2008 के अनुरूप होगी। साथ ही निर्देशित किया जात है कि लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय लोगों प्रभावित स्थल एवं आस-पास के लोगों को लोक सुनवाई की तिथि से पूर्व सुभाषी पत्रावर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से भी दी जाय।

दिखासभाजन,
 7/5/10
 (अरुण के. सिन्हा)
 सदस्य सचिव
 संज्ञी, दिनांक 16/4/10
 (अरुण के. सिन्हा)
 सदस्य सचिव।

पत्रांक..... 115/3

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय महाधिकारी, हजारीबाग का, सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित; अतः यह है कि उक्त तिथि को लोक सुनवाई में भाग लें एवं इजाई को आवश्यक मागदर्शन भी अपने स्तर से करें।